निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन 1931 (शo)

(सं0 पटना 547) पटना, शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2009

सं0 1/वी0एल0 1201/2009 श्र0 सं0—1807

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

11 जून 2009

विषय—विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास योजना का सरलीकरण के संबंध में।

बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन एवं विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी क्रम में विमुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए रु0 10,000 राज्यांश एवं रु0 10,000 केन्द्रांश, कुल रु0 20,000 कर्णांकित है। इस राशि से विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देय सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि उन्हें पूर्ण रूपेण पुनर्वासित किया जा सके। इस संबंध में विभागीय पत्रांक सं0 2/बी0एल0-1024/96 श्र0 नि0 19, दिनांक 10 जनवरी 1997 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को समुचित निदेश दिया गया है। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि विमुक्त बंधुआ मजदूरों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्तियां क्रय कर उपलब्ध कराने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं एवं इस कारण उन्हें पुनर्वासित करने के कार्य में अनावश्यक देर हो रही है। बंधुआ मजदूर मूलतः समाज के हाशिए पर ठिठका मानव होता है जिसका पुनर्वास विमुक्त कराए जाने के तुरंत बाद नहीं हो पाने पर उसके पुनः बंधुआ बन जाने की पूरी संभावना रहती है।

अतएव सभी पहलुओं पर भली भांति सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त रु0 20,000 की राशि से विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर उनका त्वरित पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार निम्नलिखित निर्णय लेती है—

(1) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कर्णांकित राज्यांश की राशि रु0 10,000 एवं केन्द्रांश की राशि रु0 10,000 कुल रु0 20,000 की पूरी राशि लाभुक को राष्ट्रीय कृत बैंक/डाकघर में खाता खोलकर

उनके खाते में अविलंब स्थानांतरित कर दी जाएगी। साथ ही लाभुक को परिसम्पत्तियों के क्रय एवं लागत आदि के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा उचित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

(2) जिला पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक अपने खाते में स्थानांतरित राशि से जीवकोपार्जन हेतु परिसम्पत्तियों का क्रय 30 दिनों के अंतर्गत कर लेंगे और इसकी लिखित सूचना जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को दे देंगे।

(3) लाभुक द्वारा सूचना प्राप्त होने के उपरांत जिला पदाधिकारी क्रय की गई परिसम्पत्ति का सत्यापन करा कर संतुष्ट हो लेंगे कि लाभुक द्वारा अपने स्वरोजगार की दिशा में उचित कदम उठाया गया है।

(4) यदि लाभुक द्वारा निर्धारित समय तक परिसम्पत्तियां नहीं क्रय की जा सकी हों तो जिला पदाधिकारी उचित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक शीघ्रातिशीघ्र परिसम्पति क्रय कर लें। इस कार्य में ग्राम पंचायतों की भी सहायता ली जाएगी।

(5) परिसम्पत्तियों के क्रय हो जाने के बाद जिला पदाधिकारी उचित मॉनेटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक उसके माध्यम से जीवकोपार्जन कर रहे हैं एवं उनकी परिसम्पत्ति कोई हड़प नहीं रहा है।

(6) उपरोक्त रु0 20,000 के माध्यम से विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की इस व्यवस्था के साथ विभागीय पत्रांक संख्या 2/बी0एल0 1024/96 श्र0 नि0 19, दिनांक 1 जनवरी 1997 के द्वारा पुनर्वास हेतु निर्गत सभी अन्य अनुदेशों के अनुसार विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

(7) उपरोक्त व्यवस्था उन सभी पूर्व में विमुक्त बंधुआ मजदूरों के मामले में लागू होगी जिन्हें अभी तक पुनर्वासित नहीं कराया जा सका है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 547-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in